न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 6/2025 (GCMS - 2025/35)

सुमेरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर।

—आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर।

—अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 21.05.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सोनासर पटवार हल्का सोनासर की सरहद में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 260 के ख0न0 1018, 1019, 1020, 1022, 207, 439, 441, 577, 578, 589, कुल किता 10 कुल रकबा 8.03 है0 भूमि का राजस्व रिकार्ड आवेदक सुमेरसिंह के नाम 1/2 तथा शेष 1/2 हिस्सा बनारसी पत्नी हरिसिंह के नाम दर्ज है। उक्त बनारसी का सही नाम बनवारीदेवी पत्नी हरिसिंह है। वाके ग्राम सोनासर के ही खाता संख्या 250 एवं खाता संख्या 177 में आवेदक की माता का नाम बनवारी पत्नी हरिसिंह दर्ज है जो कि सही है। इसी भांति आवेदक उक्त वर्णित 1/2 हिस्सा भूमि में नाम शुद्ध करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में तहसीलदार मलसीसर से जांच रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार मलसीसर के पत्रांक 1030 दिनांक 21.05.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सोनासर में अवस्थित भूमि के हाल खाता संख्या 260 में प्रार्थी की माता का नाम बनारसी पत्नि हरिसिंह दर्ज है। तथा खाता संख्या 250, 177 में बनवारी देवी पत्नि हरिसिंह दर्ज है। तहसीलदार मलसीसर द्वारा खाता संख्या 260 में प्रार्थी की माता का नाम बनारसी पत्नि हरिसिंह के स्थान पर बनवारी देवी पत्नि हरिसिंह दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी में प्रार्थना पत्र के समर्थन में विकास कुमार चाहर पुत्र विमला चाहर निवासी निराधनु द्वारा शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थी की

माता के आधार कार्ड तथा राशन कार्ड में भी नाम बनवारी देवी पत्नी हरि सिंह दर्ज है जिनके अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया।

जवाब देही एवं साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट, उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सोनासर पटवार हल्का सोनासर की सरहद में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 260 के ख0न0 1018, 1019, 1020, 1022, 207, 439, 441, 577, 578, 589, कुल किता 10 कुल रकबा 8.03 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम बनारसी पत्नि हरिसिंह के स्थान पर सही एवं दस्तावेजी नाम बनवारी देवी पत्नी हरि सिंह दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर उक्त निर्णय की पालना करें। पूर्व का बैंक रहन घोषित काश्तकारान् पर नियमानुसार दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर